



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225026  
CG-DL-E-09022021-225026

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 69]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

**सा.का.नि. 108(अ).**—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, ओडिशा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में, अनुसूची-II में -  
(क) तालिका में, प्रथम कॉलम में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित भाग 'क' में आने वाली "ओडिशा" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"ओडिशा

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
सदस्य, राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
मुख्य प्रशासक, केबीके	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
विकास आयुक्त-सह-एसीएस एवं सरकार में योजना और समन्वय विभाग के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17

कृषि उत्पादन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वयन, गोपबंधु प्रशासन अकादमी, भुवनेश्वर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
राज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
राजस्व मंडलीय आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
परिवहन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-मुख्यमंत्री के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव/सरकार के विशेष सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
विशेष राहत आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(ख) ओडिशा के अंतर्गत प्रविष्टियों हेतु तालिका में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता लेने वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पदों से संबंधित भाग ख में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
सचिव, राजस्व बोर्ड
पंजीयक, सहकारी समिति
निदेशक, अ.ज.जा. और अ.जा. विकास
निदेशक, पंचायती राज
उद्योग निदेशक
रोजगार निदेशक
पंजीयन महानिरीक्षक
उत्पाद शुल्क आयुक्त
श्रम आयुक्त
पर्यटन निदेशक
वस्त्र एवं हथकरघा निदेशक
निदेशक, सामाजिक कल्याण
निदेशक, विशेष परियोजना
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-1/परियोजना प्रशासक, आई.टी.डी.ए.
निदेशक, प्रारंभिक एवं जन शिक्षा
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
निदेशक, एनआरएलएम
निदेशक, एनआरएचएम

निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
निदेशक, कृषि एवं खाद्य उत्पादन
निदेशक, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं
निदेशक, मत्स्यपालन”

[फा. सं. 11031/01/2019-अ.भा.से.-II(ख)]

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव

**टिप्पणी :** मूल अधिनियम दिनांक 8 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि. सं. 870 (अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं एवं तिथियों के तहत संशोधित किए गए थे:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178 (अ)	27.12.2016
3.	1194 (अ)	30.12.2016
4.	575 (अ)	12.06.2017
5.	1382 (अ)	10.11.2017
6.	1429 (अ)	17.11.2017
7.	1585 (अ)	22.12.2017
8.	566 (अ)	15.06.2018
9.	819 (अ)	28.08.2018
10.	1124 (अ)	16.11.2018
11.	1222 (अ)	19.12.2018
12.	218 (अ)	13.03.2019
13.	766 (अ)	09.10.2019
14.	813(अ)	30.12.2020
15.	51(अ)	28.01.2021

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

### (Department of Personnel and Training)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

**G.S.R. 108(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Odisha** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
  - (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “**Odisha**” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

## “Odisha

Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
Member, Board of Revenue	Level 17 in the pay matrix
Chief Administrator, KBK	Level 17 in the pay matrix
Development Commissioner-cum-ACS & Secretary to Government, Planning & Coordination Department	Level 17 in the pay matrix
Agriculture Production Commissioner	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
Director General, Training Co-ordination, Gopabandhu Academy of Administration, Bhubaneswar	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to Governor	Level 15 in the pay matrix
Resident Commissioner, New Delhi	Level 15 in the pay matrix
Revenue Divisional Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Commercial Taxes	Level 14 in the pay matrix
Transport Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner-cum-Secretary to Chief Minister	Level 14 in the pay matrix
Commissioner-cum-Secretary/Special Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Special Relief Commissioner	Level 14 in the pay matrix

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Odisha the following shall be substituted,—

“Secretary/ Additional Secretary /Joint Secretary /Deputy Secretary
Secretary, Board of Revenue
Registrar, Cooperative Societies
Director, ST & SC Development
Director, Panchayati Raj
Director of Industries
Director of Employment
Inspector General of Registration
Excise Commissioner
Labour Commissioner
Director of Tourism
Director of Textiles & Handloom
Director, Social Welfare
Director, Special Project
District Magistrates and Collectors
Additional District Magistrates/Sub-Collector, Grade-I/Project Administrator, I.T.D.A
Director, Elementary and Mass Education
Director, Secondary Education
Director, NRLM
Director, NRHM
Director, Technical Education & Training

Director, Agriculture and Food Production
Director, Animal Husbandry and Veterinary Services
Director, Fisheries”

[F. No. 11031/01/2019-AIS-II(B)]

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 870(E) dated the 08<sup>th</sup> September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:-

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178 (E)	27.12.2016
3.	1194 (E)	30.12.2016
4.	575 (E)	12.06.2017
5.	1382 (E)	10.11.2017
6.	1429 (E)	17.11.2017
7.	1585 (E)	22.12.2017
8.	566 (E)	15.06.2018
9.	819 (E)	28.08.2018
10.	1124 (E)	16.11.2018
11.	1222 (E)	19.12.2018
12.	218 (E)	13.03.2019
13.	766 (E)	09.10.2019
14.	813(E)	30.12.2020
15.	51(E)	28.01.2021